

28/01/26

पत्रावली आज पेश हुई। गार्डींग वकील
उपायित। विगार्डींग वकील अनुपायित।
मूल आवेदन का निस्तारण हो चुका है।
मूल आवेदन का निस्तारण होने से स्थान
गार्डीना पत्र अलग से चलाये जाने का
कोई औचित्य नहीं होने से मूल आवेदन
के साथ-साथ स्थान प्र. पत्र को इसी तरह
पर वारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुमार होकर डाकिले अन्तर हो एवम् नम्बर
से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
बौहटन

